



The
ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Daily
NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



Thursday, July 23, 2026



+91 8434931877



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- भारत द्विपक्षीय सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए **उत्तरी मैसेडोनिया** के लिए आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट को दोगुना करेगा।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने **माईवेक्स प्लेटफॉर्म** के माध्यम से जमीनी स्तर पर डिजिटल रचनाकारों को बढ़ावा देने के लिए 'जेम्स ऑफ इंडिया' चैलेंज शुरू किया
- फ्रांस ने ऑनलाइन सुरक्षा की रक्षा के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए **सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध** लगाने वाला कानून पारित किया।
- यूक्रेन ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच **मायखाइलो ड्रापाटी** को नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया।
- **अमेरिका ने बढ़ते व्यापार विवाद के बीच कनाडा के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया।**
- दिल्ली ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए **परिवर्तन योजना** को मंजूरी दी।
- **ओडिशा में कार्पाइत बॉक्साइट ब्लॉक** भारत के एल्यूमीनियम उद्योग के विकास के लिए महत्व प्राप्त करता है।
- केन्ट्र ने एनपीएस के पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में शिफ्ट होने का विकल्प फिर से खोला ।
- आईआईटी कानपुर स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर **ऑफ एक्सीलेंस इकोजेन** की स्थापना करेगा।
- महाराष्ट्र ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में **भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य** विकसित करेगा।

भारत उत्तरी मैसेडोनिया के लिए आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट को दोगुना करेगा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू



- उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि भारत उत्तरी मैसेडोनिया के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) प्रशिक्षण स्लॉट को दोगुना कर देगा।
- इस कदम का उद्देश्य भारत की विकास साझेदारी पहल के तहत क्षमता निर्माण, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, शासन और मानव संसाधन विकास में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है।
- यह निर्णय बाल्कन क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है और उत्तरी मैसेडोनिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है।

आईटीईसी क्या है?

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) भागीदार देशों के लिए भारत का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- शुरू किया गया: 1964
- द्वारा प्रशासित: विदेश मंत्रालय (MEA)
- प्रकृति: पूरी तरह से वित्त पोषित सहायता कार्यक्रम।
- कवरेज: एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, प्रशांत और कैरिबियन में 160 से अधिक भागीदार देश।

उद्देश्य:

- मानव संसाधन विकास।
- तकनीकी प्रशिक्षण।
- क्षमता निर्माण।
- भारत के विकास के अनुभव को साझा करना।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग।

प्रमुख घटक:

- नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- रक्षा प्रशिक्षण।
- विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति।
- अध्ययन पर्यटन।
- आपदा राहत सहायता।
- परियोजना सहायता।
- ई-आईटीईसी (ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म)।

भारत-उत्तर मैसेडोनिया संबंध:

- राजनयिक संबंध
- राजनयिक संबंध 1995 में स्थापित हुए।
- सोफिया (बुल्गारिया) में भारत का दूतावास उत्तरी मैसेडोनिया के साथ समवर्ती रूप से मान्यता प्राप्त है।
- उत्तरी मैसेडोनिया नई दिल्ली में एक दूतावास रखता है।

सहयोग के क्षेत्र:

- आईटीईसी के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- फार्मास्यूटिकल्स।
- सूचना प्रौद्योगिकी।
- कृषि।
- नवीकरणीय ऊर्जा।
- पढ़ाई।
- संवर्धन।
- व्यापार और निवेश।

उत्तरी मैसेडोनिया के बारे में:

- राजधानी: स्कोप्ये
- मुद्रा: मैसेडोनियन डेनार (MKD)
- महाद्वीप: यूरोप (बाल्कन प्रायद्वीप)
- राष्ट्रपति: गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा
- प्रधान मंत्री: ऋष्टिजन मिक्स्की
- नाटो के सदस्य: 2020 से
- यूरोपीय संघ की स्थिति: यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए उम्मीदवार देश

अतिरिक्त तथ्य:

- आईटीईसी भारत के सबसे पुराने और सबसे सफल विकास सहयोग कार्यक्रमों में से एक है, जिसे 1964 में शुरू किया गया था।
- यह कार्यक्रम भारत के "विकास साझेदारी" और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के दर्शन का प्रतीक है।
- भारत भागीदार देशों के अधिकारियों को सालाना हजारों पूरी तरह से वित्त पोषित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है।
- उत्तरी मैसेडोनिया 27 मार्च 2020 को नाटो का 30 वां सदस्य बन गया।
- ग्रीस के साथ प्रेस्पा समझौते के तहत देश ने 2019 में मैसेडोनिया गणराज्य से अपना नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य कर लिया।
- मदर टेरेसा का जन्म 1910 में स्कोप्ये (वर्तमान उत्तरी मैसेडोनिया) में हुआ था, इससे पहले कि वह भारतीय नागरिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बन गईं।

भारत के महत्वपूर्ण विकास साझेदारी कार्यक्रम:

- कार्यक्रम : उद्देश्य
- आईटीईसी: क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग
- ई-आईटीईसी: ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण
- आईसीसीआर छात्रवृत्ति: विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर डिजिटल रचनाकारों को बढ़ावा देने के लिए 'जेम्स ऑफ इंडिया' लॉन्च किया



- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 'जेम्स ऑफ इंडिया' चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है, जो एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर डिजिटल रचनाकारों की पहचान करना, उनका पोषण करना और बढ़ावा देना है।
- यह चुनौती नागरिकों को वेब्स ओटीटी इकोसिस्टम के तहत माईवेब्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने संबंधित जिलों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और अनूठी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले लघु वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

मुख्य बिंदु

- वीडियो की अवधि: 1-3 मिनट।

- पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क / : टेली-एजुकेशन और टेलीमेडिसिन
- ऋण की लाइनें (LoC): बुनियादी ढांचा और विकास वित्तपोषण

परीक्षा फोकस बिंदु:

- आईटीईसी लॉन्च: 1964।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: विदेश मंत्रालय।
- समाचार में लाभार्थी देश: उत्तरी मैसेडोनिया।
- राजधानी: स्कोप्ये।
- मुद्रा: मैसेडोनियन डेनार।
- नाटो सदस्यता: 2020।
- पूर्व नाम: मैसेडोनिया गणराज्य।
- प्रेस्पा समझौता: 2018 (2019 में लागू)।
- मदर टेरेसा का जन्मस्थान: स्कोप्ये।

- पार्टनर: YouTube और Meta अपने क्रिएटर इकोसिस्टम के जरिए क्रिएटर आउटरीच को सपोर्ट करेंगे।

पायलट क्षेत्र:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- अरुणाचल प्रदेश
- चंडीगढ़
- दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
- गोवा
- लद्दाख।

पुरस्कार संरचना:

- स्तर: पुरस्कार
- जिला: प्रति जिला ₹50,000 प्रत्येक के 20 पुरस्कार
- राज्य: प्रत्येक जिले से एक क्रिएटर के लिए ₹2 लाख
- नेशनल: राष्ट्रव्यापी रोलआउट के दौरान चयनित रचनाकारों के लिए ₹5 लाख

कार्यान्वयन भागीदार:

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय। - प्रसार भारती। - माई भारत (एमवाई भारत)। - राज्य सरकारों। - जिला प्रशासन। - स्थानीय शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान। - यूट्यूब। - के पेरे।	- प्रकाशन-व्यवसाय। - विज्ञापन। - सांस्कृतिक पर्यटन। - डिजाइन और फैशन।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के बारे में:	
- मुख्यालय: नई दिल्ली - मंत्री: अश्विनी वैष्णव - प्रमुख संगठन: प्रसार भारती, पीआईबी, सीबीएफसी, एनएफडीसी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी, जो अब सीबीसी के तहत)	

MyWAVES के बारे में:

- WAVES OTT पारिस्थितिकी तंत्र के तहत एक नागरिक निर्माता मंच।
- नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया:

- मूल सामग्री बनाएं।
- वीडियो अपलोड करें और साझा करें।
- भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना।
- उपयोगकर्ता-जनित सामग्री और भारत की बढ़ती डिजिटल निर्माता अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।

वेब्स के बारे में:

- वेब्स (वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट) मीडिया और मनोरंजन (एम एंड ई) क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत की प्रमुख पहल है।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समर्थित।
- डिजिटल मीडिया, प्रसारण, एवीजीसी-एक्सआर (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी), फिल्में, संगीत और सामग्री निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देता है।

ऑरेंज इकोनॉमी क्या है?

- ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मकता, संस्कृति, बौद्धिक संपदा और डिजिटल नवाचार पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है।

प्रमुख क्षेत्र

- फिल्म और टेलीविजन।
- राग।
- डिजिटल सामग्री निर्माण।
- गेमिंग।
- एनीमेशन।

अतिरिक्त तथ्य:

- प्रसार भारती प्रसार भारती अधिनियम, 1990 (1997 से संचालित) के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है।
- प्रसार भारती संचालित करती है: आकाशवाणी (आकाशवाणी)। और दूरदर्शन।
- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की प्रमुख सूचना प्रसार एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फिल्मों को प्रमाणित करता है।
- भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
- पहल: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
- प्लेटफार्म: WAVES OTT के तहत MyWAVES।
- थीम: जिला स्तरीय डिजिटल कहानी सुनाना।
- पायलट कवरेज: छह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश।
- पार्टनर: YouTube और Meta.
- सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार: ₹5 लाख।
- संबंधित अवधारणा: ऑरेंज इकोनॉमी।
- कार्यान्वयन भागीदार: प्रसार भारती और माई भारत।

फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया



● फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकने वाले एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है, जिससे फ्रांस इस तरह के राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को अपनाने वाला पहला यूरोपीय संघ (ईयू) देश बन गया है। कानून का उद्देश्य बच्चों को अत्यधिक सोशल मीडिया के उपयोग के हानिकारक प्रभावों से बचाना है, जिसमें साइबरबुलिंग, लत और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल हैं।

यह खबरों में क्यों है?

- फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला राष्ट्रव्यापी कानून बनाने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य देश बन गया है।
- यह कानून बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल कल्याण पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है।
- यूरोपीय आयोग इस बात की जांच करेगा कि क्या कानून यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के साथ पूरी तरह से संगत है।

कानून के प्रमुख प्रावधान:

- 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं और न ही उन्हें मॉनेटर कर सकते हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों को चाहिए:

- उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करें।
- कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के मौजूदा खातों को हटा दें।
- यह कानून बच्चों के बीच अत्यधिक स्क्रीन समय को कम करने के लिए फ्रांस के व्यापक उपायों का भी पूरक है।
- सरकार ने अपने बाल संरक्षण और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता एजेंडे के हिस्से के रूप में इस उपाय को बढ़ावा दिया है।

यूरोपीय संघ (EU) के बारे में:

- स्थापित: 1993 (मास्ट्रिख की संधि)

● मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
● सदस्य राज्य: 27
● यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष: एंटोनियो कोस्टा
● संसद सीट: स्ट्रासबर्ग, फ्रांस
● कार्यकारी निकाय: यूरोपीय आयोग
● न्यायालय: यूरोपीय संघ का न्यायालय (लक्जमबर्ग)
● मुद्रा: यूरो (€) (20 सदस्य राज्यों द्वारा उपयोग किया जाता है)

यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) क्या है?

- डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) एक ऐतिहासिक यूरोपीय संघ विनियमन है जिसे एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख उद्देश्य:

- उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को ऑनलाइन सुरक्षित रखें।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता बढ़ाएं।
- बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (वीएलओपी) को विनियमित करें।
- अवैध सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से हटाएं।
- बच्चों को हानिकारक डिजिटल सामग्री से बचाएं।
- प्रौद्योगिकी कंपनियों की जवाबदेही में सुधार करें।

फ्रांस के बारे में:

● राजधानी: पेरिस
● मुद्रा: यूरो (€)
● राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन
● राष्ट्रीय दिवस: 14 जुलाई (बैस्टिल दिवस)

अतिरिक्त तथ्य:

- फ्रांस यूरोपीय संघ और नाटो का संस्थापक सदस्य है।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विनियमन को मजबूत करने के लिए 2024 में EU डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) पूरी तरह से लागू हो गया।
- ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया के उपयोग के लिए राष्ट्रव्यापी न्यूनतम आयु (16 वर्ष से कम) कानून बनाने वाला विश्व स्तर का पहला देश बन गया, जिसने दुनिया भर में इसी तरह की बहसों को प्रभावित किया।

- यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है और यूरोपीय संघ के कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
- लक्जमबर्ग में स्थित यूरोपीय संघ का न्यायालय (CJEU), यूरोपीय संघ के कानून की व्याख्या करता है और सदस्य राज्यों में इसके समान अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है।
- तुलना: डिजिटल विनियमन पहल
- देश/क्षेत्र: प्रमुख पहल
- फ्रांस: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध
- ऑस्ट्रेलिया: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध
- यूरोपीय संघ: डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए)
- भारत: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और आईटी अधिनियम, 2000 डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन सुरक्षा के पहलुओं को विनियमित करते हैं

परीक्षा फोकस बिंदु:

• समाचार में देश: फ्रांस।
• आयु सीमा: 15 वर्ष से कम।
• उद्देश्य: बाल ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण।
• संबंधित यूरोपीय संघ कानून: डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए)।
• यूरोपीय संघ मुख्यालय: ब्रुसेल्स।
• यूरोपीय संसद सीट: स्ट्रासबर्ग।
• यूरोपीय संघ का न्यायालय: यूरोपीय संघ का न्यायालय, लक्जमबर्ग।
• फ्रांस के राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन।
• फ्रांस की राजधानी: पेरिस।

यूक्रेन ने मिखाइलो द्रापाटी को सशस्त्र बलों के नए कमांडर-इन-चीफ के रूप में नियुक्त किया



- यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेन्स्की ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में जनरल ऑलेक्जेंडर सिस्की को बर्खास्त कर दिया है और मेजर जनरल मायखाइलो द्रापाटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है।
- नेतृत्व परिवर्तन चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान सार्वजनिक विरोध और सैन्य सुधारों की मांगों के बीच आता है।

• राजधानी: कीव
• मुद्रा: रिव्निया (UAH)
• राष्ट्रपति: वलोडिमिर जेलेन्स्की

रूस-यूक्रेन संघर्ष: समयरेखा

• सालों आयोजन
• 2014 रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया; पूर्वी यूक्रेन (डोनबास) में संघर्ष शुरू हुआ।
• 2022 रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया।
• 2023–2026 निरंतर सैन्य अभियान, रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और यूक्रेन को व्यापक पश्चिमी सैन्य सहायता।

मायखाइलो द्रापाटी के बारे में:

- रैंक: मेजर जनरल।
- 2014 से रूस-यूक्रेनी युद्ध के अनुभवी।
- पहले यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर के रूप में कार्य किया।
- मारियुपोल, खेरसॉन, क्रिवी रिह और खार्किव में संचालन के दौरान नेतृत्व के लिए जाना जाता है।
- यूक्रेनी सैन्य कमांडरों की एक नई पीढ़ी का हिस्सा माना जाता है, जो नवाचार और परिचालन लचीलेपन पर केंद्रित है।

यूक्रेन के बारे में:

नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)

- स्थापित: 1949।
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
- महासचिव: मार्क रूट
- नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष: ग्यूसेप कावो ड्रैगन
- उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा सिद्धांत।
- यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन गठबंधन के साथ मिलकर सहयोग करता है।

यूरोपीय संघ (EU):

- यूक्रेन को 2022 में यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया गया था।
- परिग्रहण वार्ता औपचारिक रूप से 2024 में शुरू हुई।

काला सागर:

- यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्किये और जॉर्जिया की सीमा से घिरा हुआ है।
- बोस्पोरस, मरमारा सागर और डार्डनिलस के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
- वैश्विक व्यापार, ऊर्जा परिवहन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

आज़ोव सागर:

- केच जलडमरूमध्य के माध्यम से काला सागर से जुड़ा हुआ है।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष में महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• देश: यूक्रेन।
• राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की।
• नए कमांडर-इन-चीफ: मायखाइलो ड्रापाटी।
• पूर्व कमांडर: ऑलेक्जेंडर सिस्की।
• राजधानी: कीव।
• मुद्रा: रिव्निया।
• संसद: वेरखोवना राडा।
• संबंधित संगठन: नाटो, यूरोपीय संघ।
• महत्वपूर्ण जल निकाय: काला सागर, आज़ोव सागर।

अमेरिका ने व्यापार विवाद के बीच चुनिंदा कनाडाई आयात पर 50% टैरिफ लगाया



- संयुक्त राज्य अमेरिका ने चुनिंदा कनाडाई आयात पर 50% टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कनाडा अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभाव करता है।
- नए शुल्क घोषणा के 30 दिन बाद लागू होने वाले हैं, जिससे दो उत्तरी अमेरिकी भागीदारों के बीच व्यापार तनाव और बढ़ जाएगा।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1930 के अमेरिकी टैरिफ अधिनियम की धारा 338 के तहत इस उपाय की घोषणा की गई है, जो शायद ही कभी लागू किया जाने वाला व्यापार प्रावधान है।

अमेरिका का आरोप है कि कनाडा ने अमेरिकी सामानों के साथ भेदभाव किया है जैसे:

- डेयरी उत्पाद
- मादक पेय
- ऑटोमोबाइल

टैरिफ क्या है?

- टैरिफ एक सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया कर है।

टैरिफ के उद्देश्य:

- घरेलू उद्योगों की रक्षा करें।
- सरकारी राजस्व उत्पन्न करें।
- आयात कम करें।
- व्यापार असंतुलन को ठीक करें।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करें।
- व्यापार विवादों में बातचीत के लाभ को मजबूत करना।

टैरिफ के प्रकार:

• एड वेलोरेम टैरिफ - माल के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है।
• विशिष्ट टैरिफ - आयात की गई प्रति यूनिट निश्चित राशि।
• सुरक्षात्मक टैरिफ - घरेलू उद्योगों की रक्षा करता है।
• राजस्व टैरिफ - मुख्य रूप से राजस्व उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है।
• प्रतिशोधी टैरिफ - किसी अन्य देश के व्यापार प्रतिबंधों के जवाब में लगाया गया।

अमेरिकी टैरिफ अधिनियम, 1930 की धारा 338 के बारे में:

- टैरिफ अधिनियम (स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम), 1930 के तहत अधिनियमित।
- अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करता है जो अमेरिकी वाणिज्य के खिलाफ भेदभाव करते हैं।
- यह अमेरिकी व्यापार कानून में शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला प्रावधान है।

कनाडा:

- राजधानी: ओटावा।
- मुद्रा: कैनेडियन डॉलर (सीएडी)।
- प्रधान मंत्री: मार्क कार्नी।

संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के बारे में:

- हस्ताक्षरित: 30 नवंबर 2018
- लागू हुआ: 1 जुलाई 2020
- सदस्य: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको
- प्रतिस्थापित: उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा)
- उद्देश्य: मुक्त व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना

संयुक्त राज्य अमेरिका:

- राजधानी: वाशिंगटन, डी.सी.
- मुद्रा: अमेरिकी डॉलर (USD)।
- राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प।

भारत-कनाडा व्यापार संबंध:

- विशेष: विवरण
- द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार: लगभग 8-9 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना (हाल के वर्ष)
- प्रमुख भारतीय निर्यात: फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, मशीनरी, रत्न और आभूषण
- कनाडा से प्रमुख आयात: दालें, उर्वरक, लकड़ी का गूदा, खनिज
- प्रस्तावित समझौता: प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता (ईपीटीए) पर चर्चा की जा रही है

टैरिफ और कोटा के बीच अंतर:

- टैरिफ: कोटा
- आयात पर लगाया गया कर: आयात पर मात्रात्मक सीमा
- सरकारी राजस्व उत्पन्न करता है: सीधे राजस्व उत्पन्न नहीं करता है
- शुल्क चुकाने के बाद भी आयात जारी रहता है: कोटा सीमा पूरी होने के बाद आयात बंद

परीक्षा फोकस बिंदु:

- टैरिफ लगाने वाला देश: संयुक्त राज्य अमेरिका।
- प्रभावित देश: कनाडा।
- टैरिफ दर: 50%।
- कानूनी आधार: टैरिफ अधिनियम, 1930 की धारा 338।
- क्षेत्रीय व्यापार समझौता: यूएसएमसीए।
- पूर्ववर्ती समझौता: नाफ्टा।
- वैश्विक व्यापार संगठन: विश्व व्यापार संगठन।
- विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

विश्व व्यापार संगठन (WTO):

- स्थापना: 1 जनवरी 1995
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- सदस्य: 166 (2026 तक)
- के उत्तराधिकारी: टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT), 1947
- उद्देश्य: मुक्त, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना

परिवर्तन योजना: दिल्ली ने पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बीएस-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की मंजूरी दी

- दिल्ली मंत्रिमंडल ने परिवर्तन (परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम) योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पुराने और अत्यधिक प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को BS-VI-अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के साथ बदलना है।

- यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केंद्र की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

यह खबरों में क्यों है?

- दिल्ली केंद्र की परिवर्तन योजना को लागू करने वाले पहले क्षेत्राधिकारों में से एक बन गया है।
- इस पहल से भारी वाणिज्यिक वाहनों से उत्सर्जन में काफी कमी आने की उम्मीद है, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।



परिवर्तन योजना के बारे में

- फुल फॉर्म: परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)।

उद्देश्य:

- अत्यधिक प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को बदलें।
- दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार।
- स्वच्छ गतिशीलता प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना।
- बड़े के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करें।
- भारत के जलवायु और टिकाऊ परिवहन लक्ष्यों का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- एनसीआर में चलने वाले वाणिज्यिक ट्रकों और बसों पर लागू।
- बीएस-IV और पुराने वाहनों को स्कैप करने को प्रोत्साहित करता है।

प्रचार करता है:

- बीएस-VI डीजल वाहना
- बीएस-VI सीएनजी बसें।
- इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहना
- प्रतिस्थापन लागत को कम करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के साथ जुड़ा हुआ है।

भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक क्या है?

- भारत स्टेज (बीएस) मानदंड मोटर वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानक हैं।

- द्वारा विनियमित: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)
- के आधार पर: यूरोपीय यूरो उत्सर्जन मानक
- वर्तमान मानक: भारत स्टेज-VI (BS-VI)
- बीएस-VI लागू: 1 अप्रैल 2020

BS-VI का महत्व:

के उत्सर्जन को कम करता है:

- पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)।
- नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)।
- हाइड्रोकार्बन।
- कार्बन मोनोऑक्साइड।
- बीएस-IV में 50 पीपीएम की तुलना में 10 पीपीएम सल्फर के साथ क्लीनर ईंधन का उपयोग करता है।

दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण:

- प्रमुख योगदानकर्ता
- भारी वाणिज्यिक वाहना
- निर्माण गतिविधियाँ।
- सड़क की धूल।
- उद्योग।
- बायोमास जलना।
- मौसमी पराली जलाना।

प्रदूषक:

- पीएम2.5
- पीएम10
- NOx
- एसओ₂
- कार्बन मोनोऑक्साइड
- जमीनी स्तर का ओजोन

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):

- शुरू की: 2019
- मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)

- उद्देश्य: शहर-विशिष्ट कार्य योजना के माध्यम से प्रमुख शहरों में कण प्रदूषण को कम करना

वाहन स्क्रेपिंग नीति (भारत):

- शुरू की: 2021
- नोडल मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- उद्देश्य: पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना
- लाभ: स्क्रेपिंग और नए वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बारे में:

लाभ

- शून्य टेलपाइप उत्सर्जन।
- कम परिचालन लागत।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हुई।
- शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार।
- भारत के नेट-जीरो और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों का समर्थन करता है।

संबंधित सरकारी पहल:

- फेम इंडिया योजना (इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाता और विनिर्माण)।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना।
- वाहन स्क्रेपिंग नीति (2021)।
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- स्कीम: परिवर्तन।
- फुल फॉर्म: परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम।
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- लक्षित वाहन: बीएस-IV और पुराने वाणिज्यिक ट्रक और बसें।
- प्रतिस्थापन वाहन: बीएस-VI, बीएस-VI सीएनजी, और इलेक्ट्रिक वाहन।
- वर्तमान उत्सर्जन मानदंड: बीएस-VII
- वाहन स्क्रेपिंग नीति: 2021।
- संबंधित संस्थान: सीएक्यूएम, एनसीआरपीबी।
- संबंधित कार्यक्रम: एनसीएपी।

कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक भारत के एल्यूमीनियम उद्योग के लिए प्रमुख खनिज संपत्ति के रूप में उभरा



- ओडिशा के कालाहांडी जिले में कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक, भारत के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों में से एक के रूप में उभरा है, जो प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादकों की प्रमुख रुचि को आकर्षित करता है।
- अनुमानित 200 मिलियन टन से अधिक बॉक्साइट भंडार के साथ, ब्लॉक से भारत की एल्यूमीनियम मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, घरेलू कच्चे माल की सुरक्षा बढ़ाने और आयातित बॉक्साइट पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

यह खबरों में क्यों है?

- भारत के एल्यूमीनियम उद्योग के लिए अपने बड़े आरक्षित आधार और रणनीतिक महत्व के कारण कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक एक अत्यधिक मांग वाला खनिज ब्लॉक बन गया है।
- इस ब्लॉक से भारत में एल्यूमीनियम विनिर्माण के लिए दीर्घकालिक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक का महत्व

- भारत के सबसे बड़े अविकसित बॉक्साइट भंडारों में से एक।
- एल्यूमिना रिफाइनरियों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- आयातित बॉक्साइट पर निर्भरता कम करता है।
- भारत के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है।
- मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है।
- ओडिशा में रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पैदा करता है।
- दुनिया के अग्रणी एल्यूमीनियम उत्पादकों में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

बॉक्साइट के बारे में

- बॉक्साइट एल्युमीनियम का प्रमुख अयस्क है।

मौजूद प्रमुख खनिज:

- गिबसाइट
- बोहेमाइट
- डायस्पोर्स

उपयोग

- एल्युमिनियम उत्पादन
- एयरोस्पेस उद्योग
- ऑटोमोबाइल विनिर्माण
- बिजली के तार
- पैकेजिंग
- रक्षा उपकरण
- निर्माण क्षेत्र
- नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा

एल्युमीनियम उत्पादन प्रक्रिया:

- चरण: उत्पाद
- बॉक्साइट: अयस्क
- बायर प्रक्रिया: एल्यूमिना (Al_2O_3)
- हॉल-हेरोल्ट प्रक्रिया: एल्युमिनियम धातु

भारत और बॉक्साइट

- वैश्विक स्थिति: बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादकों में से एक
- प्रमुख उत्पादक राज्य: ओडिशा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
- सबसे बड़ा उत्पादक राज्य: ओडिशा
- मुख्य उपयोग: एल्युमीनियम निर्माण

ओडिशा: खनिज बिजलीघर:

- ओडिशा भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है।

प्रमुख खनिज:

- बॉक्साइट

- लौह अयस्क
- क्रोमाइट
- कोयला
- मैंगनीज
- चूना-पत्थर
- निकल

कुंजी एल्युमीनियम बेल्ट:

- कालाहांडी
- कोरापुट
- रायगढ़
- कंधमाल

भारत में प्रमुख एल्युमीनियम कंपनियां:

- कंपनी: मुख्यालय
- नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको): भुवनेश्वर
- हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड: मुंबई
- वेदांता एल्युमीनियम: झारसुगुडा (ओडिशा में प्रमुख संचालन)
- भारत एल्युमीनियम कंपनी (बाल्को): कोरबा, छत्तीसगढ़

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम):

उद्देश्य

- भारत में खनिज अन्वेषण और खनन को नियंत्रित करता है।
- खनिज ब्लॉकों की नीलामी को नियंत्रित करता है।
- खनन पट्टों के पारदर्शी आवंटन को प्रोत्साहित करना।
- वैज्ञानिक और टिकाऊ खनन को बढ़ावा देता है।
- नवीनतम सुधार
- निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी।
- पारदर्शी ई-नीलामी प्रणाली।
- महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर ध्यान दें।

पर्यावरण संबंधी चिंताएं

- कार्बापत क्षेत्र करलापत वन्यजीव अभयारण्य के करीब स्थित है, जो पर्यावरण सुरक्षा उपायों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

संभावित चिंताओं में शामिल हैं:

- वनों की कटाई
- वन्यजीव आवास विखंडन
- मृदा कटाव
- जल संसाधन प्रभाव
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

ऐसे क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है:

- पर्यावरण मंजूरी (ईसी)।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (अब वन (संरक्षण एवं वर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत यथा संशोधित) के अंतर्गत वन स्वीकृति प्रदान की गई है।
- जहां भी लागू हो, वन्यजीवों से संबंधित अनुमोदन।

करलापत वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

• राज्य ओडिशा	
• जिला कालाहांडी	
• स्थापित	1992
• कार्य-क्षेत्र	लगभग 175 वर्ग किमी
• नदी बेसिन	तेल नदी (महानदी की सहायक नदी)
• प्रमुख जीव	एशियाई हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर, पैंगोलिन, सुस्त भालू
• प्रमुख वनस्पति	साल, बांस, मिश्रित पर्णपाती वन

- अल्युमिनियम धातु
- परमाणु संख्या: 13.
- प्रतीक: अल
- पृथ्वी की पपड़ी में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व।
- हल्का, संक्षारण प्रतिरोधी और अत्यधिक पुनर्चक्रण योग्य।

ओडिशा:

- राजधानी: भुवनेश्वर।
- राज्यपाल: हरि बाबू कंभरपति।
- मुख्यमंत्री : मोहन चरण माझी।
- बॉक्साइट और क्रोमाइट का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• खनिज ब्लॉक: कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक।
• स्थान: कालाहांडी, ओडिशा।
• प्रमुख खनिज: बॉक्साइट।
• सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य: ओडिशा।
• एल्युमिनियम का अयस्क: बॉक्साइट।
• प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम: नाल्को।
• प्रासंगिक कानून: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
• निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्र: कार्लापत वन्यजीव अभयारण्य।

अतिरिक्त तथ्य

केंद्र ने पात्र कर्मचारियों के लिए एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्थानांतरित करने के लिए एकमुश्त विकल्प फिर से खोला



- भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक चुनिंदा श्रेणी के लिए पुरानी पेंशन योजना

(ओपीएस) पर स्विच करने के लिए वन-टाइम विकल्प को फिर से खोल दिया है।

- यह विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

यह खबरों में क्यों है?

- केंद्र ने केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने के लिए एकमुश्त विकल्प को फिर से खोल दिया है।

- यह कदम न्यायिक फैसलों और एनपीएस की शुरुआत से पहले विज्ञापित रिक्तियों के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों को राहत प्रदान करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं के बाद उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

- पात्र कर्मचारी: एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।
- पात्रता मानदंड: 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों / रिक्तियों के लिए नियुक्त कर्मचारी, लेकिन जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए।
- ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, यानी पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर होने के लिए एक बार के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
- यह विकल्प सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर ही उपलब्ध है।

कौन पात्र है?

केंद्र सरकार का कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुन सकता है यदि:

- इस पद को 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित किया गया था।
- नियुक्ति 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद की गई थी।
- कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किया गया है।
- कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बारे में:

- पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, जिसके तहत सरकार सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी देती है।

सुविधाएँ:

- पेंशन आम तौर पर लागू पेंशन नियमों के तहत अंतिम आहरित मूल वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर होती है।
- पेंशन की देनदारी सरकार वहन करती है।
- आवधिक महंगाई राहत (डीआर) देय है।
- पारिवारिक पेंशन प्रावधान उपलब्ध हैं।
- पेंशन कोष में कोई अनिवार्य कर्मचारी अंशदान नहीं है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के बारे में:

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है।
- के लिए पेश किया गया: केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जनवरी 2004

नियामक: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
प्रकृति: बाजार से जुड़ी परिभाषित अंशदान योजना
कवरेज: सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और सभी पात्र भारतीय नागरिक

सुविधाएँ:

- कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान है।
- पेंशन संचित कोष और निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है।
- बाजार से जुड़े रिटर्न।
- नौकरियों में पोर्टेबल।
- PFRDA द्वारा विनियमित।

ओपीएस बनाम एनपीएस:

विशेषता (एनपीएस)	पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
प्रकृति	परिभाषित लाभ	परिभाषित योगदान
पेंशन सरकार की गारंटी	कॉर्पस और मार्केट रिटर्न पर निर्भर करता है	
कर्मचारी योगदान पेंशन कॉर्पस के लिए आवश्यक नहीं है		अनिवार्य
निवेश जोखिम	सरकार	ग्राहक
पेंशन राशि	नियमों के अनुसार तय किया गया	चर

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA):

स्थापित: 2003 (अंतरिम); पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक स्थिति
मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
मुख्यालय: नई दिल्ली
कार्य: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को विनियमित और विकसित करता है

कार्य:

- पेंशन फंड को नियंत्रित करता है।
- ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।
- वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- एनपीएस बिचौलियों की देखरेख करता है।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस):

- सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक पेंशन ढांचे के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) भी शुरू की है।

सुविधाएँ:

- 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी।
- कर्मचारी पात्रता के अधीन यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं।
- एक अंशदायी संरचना को बनाए रखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में अधिक निश्चितता प्रदान करना चाहता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 309: संसद और राज्य विधानसभाओं को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 300A: पेंशन को न्यायिक व्याख्या के माध्यम से एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है; कानून के अधिकार के बिना इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आईआईटी कानपुर ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा



- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति, 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन पर एक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करेगा, जिसका नाम ECOGEN (सेंटर ऑफ़ एक्सलेंस ऑन इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन) है।
- इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- केंद्र का उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और नेट-जीरो लक्ष्यों का समर्थन करते हुए संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है जो पूरी तरह से सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है।

इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया जल (H₂O) में विभाजित है:

परीक्षा फोकस बिंदु:

• योग्य कर्मचारी: 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित पद.
• केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू एनपीएस: 1 जनवरी 2004।
• एनपीएस का नियामक: पीएफआरडीए।
• पीएफआरडीए अधिनियम: 2013
• नीति विभाग: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू)।
• ओपीएस की प्रकृति: परिभाषित लाभ योजना।
• एनपीएस की प्रकृति: परिभाषित अंशदान योजना।
• संबंधित पेंशन सुधार: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)।

- हाइड्रोजन (H₂)
- ऑक्सीजन (O₂)
- उत्पादन के दौरान कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होता है।

हाइड्रोजन के प्रकार:

प्रकार उत्पादन विधि	कार्बन उत्सर्जन
• ग्रे हाइड्रोजन	कार्बन कैप्चर के बिना प्राकृतिक गैस/कोयला उच्च
• नीला हाइड्रोजन	कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) के साथ जीवाश्म ईंधन मध्यमार्गी
• ग्रीन हाइड्रोजन	नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस शून्य के पास
• भूरा/काला हाइड्रोजन	कोयला गैसीकरण बहुत ऊँचा
• गुलाबी हाइड्रोजन	परमाणु संचालित इलेक्ट्रोलिसिस बहुत कम

ECOGEN के उद्देश्य:

- सस्ती हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में नवाचार को बढ़ावा देना।
- उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करें।
- स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का निर्माण करें।
- अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में योगदान दें।
- भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:

• स्वीकृत: जनवरी 2023
• नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)
• प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय: ₹19,744 करोड़
• उद्देश्य: भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना

मिशन लक्ष्य (2030 तक):

- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) सालाना है।
- लगभग 125 गीगावॉट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि।
- जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करें।
- हरित नौकरियों और निवेश के अवसरों का सृजन।

हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला:

• नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन।
• जल इलेक्ट्रोलिसिस।
• हाइड्रोजन भंडारण।
• परिवहन।
• वितरण।
• औद्योगिक उपयोग।
• निर्यातित माल।

हरित हाइड्रोजन के प्रमुख अनुप्रयोग:

• उर्वरक उत्पादन (अमोनिया)।
• पेट्रोलियम रिफाइनरियां।
• इस्पात निर्माण।
• भारी परिवहन।
• नौवहन।
• विमानन (सतत विमानन ईंधन के माध्यम से)।
• ऊर्जा भंडारण।
• ग्रिड संतुलन।
• रासायनिक उद्योग।

उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा):

- स्थापित: 1983
- मंत्रालय : ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग
- भूमिका: नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना

संबंधित सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।
- राष्ट्रीय सौर मिशन।
- पीएम-कुसुम योजना।
- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम।
- फेम इंडिया योजना।
- पीएम ई-ड्राइव योजना।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप।

इलेक्ट्रोलाइजर:

- इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है।

प्रमुख प्रकार

- क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर।
- पीईएम (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) इलेक्ट्रोलाइजर।
- ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर।
- शुद्ध शून्य उत्सर्जन: नेट जीरो का अर्थ है प्राकृतिक या तकनीकी साधनों के माध्यम से हटाए गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ वातावरण में छोड़े गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को संतुलित करना।

भारत का लक्ष्य:

- 2070 तक नेट जीरो हासिल करें।
- COP26 (ग्लासगो, 2021) के दौरान घोषित किया गया।

भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताएँ (COP26):

- 2070 तक नेट जीरो।
- 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता।
- 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करें।
- 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।

- 2030 तक संचयी कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन तक कम करना।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- उत्कृष्टता केंद्र: ECOGENI
- संस्थान: आईआईटी कानपुर।
- राज्य: उत्तर प्रदेश।
- नीति: उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति, 2024।

- नोडल एजेंसी: यूपीनेडा।
- मिशन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।
- नोडल मंत्रालय: एमएनआरई।
- लक्ष्य उत्पादन: 2030 तक 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन।
- नवीकरणीय क्षमता लक्ष्य: 125 गीगावाट।
- राष्ट्रीय महत्व का संस्थान: आईआईटी कानपुर।

मुंबई में भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य मिलेगा



- महाराष्ट्र सरकार ने ₹45 करोड़ की इको-नेचर पार्क परियोजना के हिस्से के रूप में ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य (TCFS) में भारत के पहले AI-संचालित पक्षी अभयारण्य के विकास को मंजूरी दे दी है।
- अभयारण्य में पक्षी संरक्षण, जैव विविधता निगरानी और इको-पर्यटन में सुधार के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित बर्ड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सेंटर होगा।

एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य क्या है?

- एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य पक्षी प्रजातियों और आवासों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरे, सेंसर, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है।

एआई अनुप्रयोग:

- स्वचालित पक्षी पहचान।
- पक्षियों की गिनती।
- प्रजातियों की पहचान।
- माइग्रेशन ट्रैकिंग।
- घोंसले की निगरानी।
- पर्यावास मूल्यांकन।
- अवैध गतिविधि का पता लगाना।
- वास्तविक समय जैव विविधता डेटाबेस।

वन्यजीव संरक्षण में एआई के लाभ:

- निरंतर निगरानी।
- मैन्युअल सर्वेक्षणों की तुलना में उच्च सटीकता।
- निवास स्थान के क्षरण के खिलाफ प्रारंभिक चेतावनी।
- बेहतर संरक्षण योजना।
- मानवीय अशांति में कमी।
- वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर नीतिगत निर्णय।

ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य (TCFS) के बारे में:

- राज्य: महाराष्ट्र
- जिला: ठाणे और मुंबई महानगर क्षेत्र
- घोषित अभयारण्य: 2015
- प्रकार: समुद्री और आर्द्रभूमि अभयारण्य
- क्षेत्रफल: लगभग 1,690 हेक्टेयर
- रामसर साइट: हाँ (ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य रामसर साइट का हिस्सा)

ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य का महत्व:

- शहरी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा फ्लेमिंगो निवास स्थान।
- हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए निवास स्थान।
- समुद्री जैव विविधता का समर्थन करता है।
- मैग्रोव के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है।
- कई जलपक्षियों के लिए प्रजनन और भोजन स्थल के रूप में कार्य करता है।

प्रवासी पक्षी क्या हैं?

लेट्स रिवाइज

- ❖ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित उत्तरी मैसेडोनिया के लिए किस भारतीय कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा? **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)।**
- ❖ किस मंत्रालय ने 'जेम्स ऑफ इंडिया' चैलेंज लॉन्च किया? **सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
- ❖ कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बन गया? **फ्रांसा**
- ❖ यूक्रेन के सशस्त्र बलों के नए कमांडर-इन-चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? **मेजर जनरल मायखाइलो द्रापाटी।**
- ❖ किस देश ने हाल ही में चयनित कनाडाई आयात पर 50% टैरिफ लगाया है? **संयुक्त राज्य अमेरिका।**
- ❖ परिवर्तन योजना में परिवर्तन का क्या अर्थ है? **परिवहन, वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम।**
- ❖ परिवर्तन योजना के तहत किस श्रेणी के वाहनों को लक्षित किया गया है? **पुराने वाणिज्यिक ट्रक और बसें (बीएस-IV और पुराने)।**
- ❖ कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक किस राज्य में स्थित है? **ओडिशा।**
- ❖ कौन सा प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को नियंत्रित करता है? **पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)।**
- ❖ केंद्र सरकार की नई भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) पर एनपीएस किस तारीख से लागू किया गया था? **1 जनवरी 2004।**
- ❖ कौन सा IIT ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ECOGEN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रहा है? **आईआईटी कानपुर।**
- ❖ कौन सा राज्य भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य स्थापित कर रहा है? **महाराष्ट्र।**



The **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

Daily **NEWS CHRONICLE**

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US



+91 8434931877



achievers_ias_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA